

18.12.25

कावली वेश हुई। ककील वादी या वादी
स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने
पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः वादी का
यह वादपत्र अद्यपि वैरी - अद्यम हाजिरी में
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। कावली
वाद तरीके तकमील होकर शामिल दफ्तर है।
निर्णय लिखा जाकर कुले-पापलप
में बुझाया गया।

(प्रिया बजाज)
RAS